(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम): (क) बैंक में खाता खोलने के लिए स्थायी खाता संख्या (पी ए एन) या जी आई आर संख्या का उल्लेख करना कोई शर्त नहीं है जिनके पास पी ए एन संख्या जी आई आर संख्या है वे उनका उल्लेख करेंगे किन्तु जिनके पास इनमें से कोई नम्बर नहीं है, वे अपनी पहचान का उल्लेख करते हुए इस आशय की घोषणा करें। किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को बैंक खाता खोलने में इससे बाधा नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री जी ने भी कृषिहर आदि व्यक्तियों के लिए स्थायी खाता संख्या आदि लिखने की अनिवार्यता को समाप्त करने के अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस विषय पर अपेक्षित अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी।

(ख) कर आधार को बढ़ावा देने के इदेश्य से ऐसा किया गया है। बैंकिंग प्रणाली मे आ रहे बेहिसाव/बेनामी लेनदेन को रिकार्ड में दिखलाए जाने की दृष्टि से भी ऐसा किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में तकनीकी संवर्ग की पदोन्नति

4549. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में तकनीकी संन्तर्ग को केवल श्रेणी ख तक ही पदोन्नति दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भर्ती के समय तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि दक्षातारोध पार करने के बार उन्हें श्रेणी ङ में पदोन्नति दी जाएगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नीति का 1992 तक अनुपालन किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में इसका अब भी अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में इस नीति का अनुपालन बंद होने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि नाबार्ड में तकनीकी अधिकारियों को ग्रेड डी (उप महाप्रबंधक) से ऊपर शीर्ष कार्यपालक पदों तक प्रोन्नति दी जाती है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, नाबार्ड में तकनीकी सेवा से ग्रेड एफ के मुख्य महाप्रबंधक (सी जी एम) रैंक के तीन अधिकारी तथा ग्रेड ई के महाप्रबंधक (जी एम) रेंक के नौ अधिकारी हैं। एक मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं तथा दो अन्य अधिकारी प्रधान कार्यालय मुम्बई में विभागाध्यक्ष हैं। तकनीकी सेवा में अधिकारियों की कुल संख्या तथा तकनीकी सेवा के जी एम तथा सी जी एस की संख्या का अनुपात 1:4.95 है। इस प्रकार, नाबार्ड की तकनीकी सेवा में वरिष्ठ कार्यपालक श्रेणी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि उसके द्वारा भर्ती के समय या अन्य किसी अवसर पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि तकनीकी अधिकारियों को ग्रेड ई में प्रोन्नति दक्षातारोध पार करने के बाद दी जाएगी जो केवल नाबार्ड द्वारा वेतनमान में, विशेष रुप से कनिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों में वृद्धि की मंजूरी के लिए न कि प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए प्रचालित की जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि पदोन्नतियों को दक्षतारोध पार करने पर आधारित करने की नीति नाबार्ड द्वारा कभी भी नहीं अपनाई गई है।

नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक में उनकी आर्थिक सेवा में ग्रेड "ई" से ग्रेड "ई" में प्रोन्नतियां उनके कार्यनिष्पादन रिपोर्ट, साक्षात्कार तथा दक्षतारोध से प्रभाक्ति होती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने भी सूचित किया है कि उनके यहां भी ग्रेड "डी" से ग्रेड "ई" में प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार के अलावा चयन का कोई अन्य माध्यम नहीं है।

Provision of stagnation increments in State Bank of Indore

4550. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a provision in Bipartite Settlement of 1989 that clerical staff on reaching the maximum in their scales will get stagnation increments after three years in State Bank of Indore;

(b) if so, whether stagnation increments have been jiven each year in